उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

16-31 दिसंबर 2020

कोरोना वैक्सीन हलाल या हराम ?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
- बोको हरम द्वारा अपहृत बच्चे रिहा
- ईरान पर आतंकवाद भड़काने का आरोप
- श्रीलंका में मुसलमानों के शवों को जलाने पर विवाद

परामर्शदाता

डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक

मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग

शिव कुमार सिंह

कार्यालय

डी-51, प्रथम तल,
हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाषः 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

कोरोना वैक्सीन हलाल या हराम? 04
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 06
ओवैसी द्वारा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पैर फैलाने की तैयारी 11
लव-जिहाद के कानून पर विवाद 12
बाबरी मस्जिद के बदले में बनने वाली मस्जिद विवादों के घेरे में 16

विश्व

रूसी मिसाइल सिस्टम की खरीद पर प्रतिबंध 18
इंडोनेशिया व ट्यूनीशिया द्वारा इजरायल को मान्यता से इनकार 19
अफगानिस्तान में कुरान पाठ के दौरान धमाका 20
बोको हरम द्वारा अपहृत बच्चे रिहा 21
बलात्कारी को नामर्द बनाने का कानून पारित 22
पाकिस्तान के बीस प्रमुख राजनेताओं का जीवन खतरे में 22

पश्चिम एशिया

ईरान पर आतंकवाद भड़काने का आरोप 23
अरब जगत को विभाजित करने की साजिश 24
सऊदी अरब में अतिवादी इमाम बर्खास्त 25
पाकिस्तान और ईरान द्वारा इजरायल से दूरी बनाए रखने की घोषणा 26
दुबई में 50 हजार यहूदी पर्यटक 26

अन्य

महमूद पराचा के दफ्तर पर पुलिस का छापा 28
धर्मांतरण पर नोएडा में चार गिरफ्तार 30
श्रीलंका में मुसलमानों के शवों को जलाने पर विवाद 30
कम नम्बर देने पर शिक्षक की हत्या 31
होटलों और मांस की दुकानों पर हलाल या झटका लिखना अनिवार्य 31

सारांश

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के विरुद्ध जो अध्यादेश जारी किया था उसका विरोध 104 सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने किया है। उन्होंने यह मांग की है कि इस अध्यादेश को तुरंत रद्द किया जाए क्योंकि इसकी आड़ में प्रशासन द्वारा मुसलमान नौजवानों को परेशान किया जा रहा है। खास बात यह है कि जिन पूर्व नौकरशाहों ने इस अध्यादेश का विरोध किया है उन सभी का संबंध कांग्रेस और वामदलों से रहा है। ये सभी लोग कांग्रेस और वामदलों के चहेते रहे हैं और उनके शासनकाल में सत्ता की मलाई चाटते रहे हैं। इनमें से कई नौकरशाह ऐसे हैं जिनके निकट संबंधी कांग्रेस के टिकट पर संसद की शोभा बढ़ाते रहे हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के इस दावे में दम है कि यह विरोध भाजपा सरकार के विरोधियों द्वारा प्रायोजित है। उत्तर प्रदेश का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को जारी कर दिया है और उसे संपूर्ण राज्य में तत्काल लागू करने की घोषणा की है। समाचारपत्रों के अनुसार गुजरात सरकार भी एक ऐसा ही कानून लाने की तैयारी कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में जो भाषण दिया है उसका अधिकांश मुस्लिम समाचारपत्रों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भारत की संस्कृति और परम्परा का वाहक करार दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इसके संस्थापक सर सैयद अहमद के कार्यकलापों की भी खुलकर प्रशंसा की है। उल्लेखनीय है कि जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने प्रधानमंत्री को शताब्दी समारोह में आमंत्रित किया था तो उसका विरोध कई कट्टर मुस्लिम संगठनों ने किया था। कुछ कट्टरपंथी उर्दू समाचारपत्रों ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों भी लिया है।

पाकिस्तान ने वहां पर बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाने की घोषणा की है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके बलात्कार विरोधी एक कानून को मंजूरी दी है, जिसके तहत बलात्कारी को चिकित्सकों द्वारा नपुंसक बनाने की भी व्यवस्था है। बलात्कार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करने के लिए वहां देश भर में विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा जो कि चार महीनों के भीतर ऐसे मामलों की सुनवाई करके आरोपी को सजा सुनाएंगे। खास बात यह है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी बलात्कार के मुकदमों में लापरवाही बरतने का आरोपी पाया जाएगा तो उसके लिए भी कड़ी सजा और जुर्माने की व्यवस्था इस कानून में की गई है।

कोरोना वैक्सीन बाजार में आने से पहले ही उसके हलाल या हराम होने का विवाद कुछ लोगों ने छेड़ दिया है। हालांकि मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक संस्थान दारूल उलूम देवबंद ने कहा है कि उन्होंने इस वैक्सीन के उपयोग के बारे में कोई फतवा जारी नहीं किया है। क्योंकि अभी तक उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस वैक्सीन को तैयार करने में किस-किस वस्तु का इस्तेमाल किया गया है। अजीब बात यह है कि हिंदू महासभा के एक स्वयंभू अध्यक्ष भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजकर यह दावा किया है कि क्योंकि इस वैक्सीन में गाय का खून शामिल है इसलिए देश में इसका इस्तेमाल न किया जाय। सवाल यह पैदा होता है कि जिस गति से कोरोना इस देश में फैल रहा है तथा करोड़ों संक्रमित हुए और लाखों मरे हैं उसको देखते हुए वैक्सीन के इस्तेमाल को विवादित बनाना क्या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ नहीं है?

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को धन्नीपुर गांव में जो भूखंड अलॉट किया था वहां पर मस्जिद बनाने पर भी विवाद उत्पन्न हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया है कि अगर इस भूखंड पर किसी मस्जिद का निर्माण किया जाता है तो वह इस्लाम और शरीयत के खिलाफ होगा और उस मस्जिद में नमाज अदा करना जायज नहीं माना जायेगा।

कोरोना वैक्सीन हलाल या हराम?

हमारा समाज (29 दिसंबर) के अनुसार कोरोना वायरस से हालांकि सारी दुनिया जूझ रही है मगर कोरोना वैक्सीन बाजार में आने से पहले ही विवादों में घिर गई है। इस वैक्सीन के प्रयोग को हराम करार देने के बारे में चल रहे विवाद के दौरान दारूल उलूम देवबंद ने एक वक्तव्य जारी करके इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि उन्होंने वैक्सीन के हलाल या हराम होने के बारे में कोई फतवा या बयान जारी नहीं किया है। दारूल उलूम देवबंद के प्रबंधक मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने यह स्पष्ट किया है कि जिस वैक्सीन की खबरें विदेशों से आ रही हैं वह अभी तक हमारे देश में नहीं आई हैं और न ही हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि इसे तैयार करने में किस-किस वस्तु का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए अभी इसके बारे में कोई भी फैसला करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर दारूल उलूम देवबंद के नाम से जो फतवा वायरल हो रहा है जिसमें उसके इस्तेमाल को हराम बताया गया है ऐसा कोई फतवा या बयान हमने जारी नहीं किया है।

ज्ञातव्य है कि सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि इस वैक्सीन को बनाने में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी ओर विख्यात इस्लामिक विद्वान मौलाना नदीम अल-वाजिदी ने कहा है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह वैक्सीन कैसे तैयार की गई है। हालांकि कुछ दिनों पूर्व यह खबर आई थी कि इसकी तैयारी में तुर्की के एक मुसलमान जोड़े का हाथ है। इसलिए इस बात की आशा नहीं की जानी चाहिए कि उन्होंने इसको बनाने में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया होगा।

सियासत (22 दिसंबर) ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन के हलाल या हराम होने का मुद्दा

उठाया था और कहा था कि इंडोनेशिया की उलेमा काउंसिल ने इसे हराम करार दिया है क्योंकि इसमें सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इस समाचार में यह भी दावा किया गया था कि इस वैक्सीन को जिस जहाज में चीन से लाया जा रहा था उसमें यात्रा करने से इंडोनेशिया के दूतावास के कर्मचारियों और मुस्लिम विद्वानों ने इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें यह सूचना मिली थी कि इसकी तैयारी में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिटिश इस्लामिक काउंसिल के महामंत्री डॉ. सलमान वकार ने भी कहा है कि इंडोनेशिया में इसके हराम होने का जो प्रश्न उठाया गया है उससे मुस्लिम जगत में चिंता होना स्वाभाविक है। अगर इसको बनाने में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है तो कोई भी मुसलमान इसे इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि इस्लाम में सुअर को हराम माना गया है। इंडोनेशिया द्वारा इस मामले को उठाए जाने के कारण दुनिया भर के इस्लामिक देशों के लिए यह चिंता का मामला बन गया है और मुस्लिम विद्वान तथा मुफ्तियों को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

दूसरी ओर **अवधनामा** (24 दिसंबर) ने यह दावा किया है कि संयुक्त अरब अमीरात में मजहब से संबंधित फतवे जारी करने वाले अधिकरण ने यह फतवा जारी किया है कि शरीयत के मुताबिक कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करना जायज है। यह फतवा उस समय आया है जबकि सारे इस्लामिक जगत में इसके हराम या हलाल होने का विवाद शुरू हो गया है। अब तक अमेरिका और यूरोपीय देशों में लोगों को इसका टीका लगाया गया था मगर अब ये टीका इस्लामिक देशों में भी लगाया जाना शुरू हो गया है। इस्लामिक देशों का कहना है कि अगर इसमें सुअर के मांस को शामिल किया गया है तो यह हराम है। जबकि संयुक्त अरब अमीरात की इस्लामिक शरीयत काउंसिल का कहना है कि अगर इसमें सुअर की चर्बी या मांस का अंश शामिल है तो भी इसका इस्तेमाल करना शरा के खिलाफ नहीं है। क्योंकि जीवन की रक्षा करना शरा में शामिल है। काउंसिल ने लोगों से अपील की है कि वे इस संदर्भ में सरकार का साथ दें। इस वैक्सीन के प्रभाव या उससे होने वाले नुकसान से संबंधित स्पष्टीकरण देना सरकार और चिकित्सा संबंधी संस्थानों का काम है। इस समय इस वैक्सीन का कोई विकल्प नहीं है इसलिए शरा के अनुसार मानव जीवन की रक्षा के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहिए।

इंकलाब (29 दिसंबर) के अनुसार हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने यह दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन में गाय का खून शामिल है इसलिए उसे भारत में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भी भेजा है जिसमें यह मांग की है कि देश में वैक्सीन का प्रयोग तब तक शुरू नहीं होना चाहिए जब तक इस बात का खुलासा न हो जाए कि यह वैक्सीन किस तरह से बनाई गई है? और क्या यह किसी धर्म के खिलाफ तो नहीं है? उन्होंने दावा किया कि उनकी सूचना के अनुसार अमेरिका में तैयार की जाने वाली वैक्सीन में गाय का खून इस्तेमाल हुआ है। सनातन धर्म में गाय को मां समझा जाता है। ऐसे हालात में अगर हमारे शरीर में गाय का खून पहुंचाया जाता है तो वह हमारे धर्म के खिलाफ होगा। इसलिए यह जरूरी है कि देश में जो भी वैक्सीन इस्तेमाल हो उसके बारे में

यह साफ होना चाहिए कि उसको किस तरह से तैयार किया गया है।

इंकलाब (30 दिसंबर) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है– 'सुअर की चर्बी के बाद अब गाय का खून।' समाचारपत्र का कहना है कि कोरोना से लाखों लोग मर रहे हैं और वैज्ञानिक दिन-रात एक करके कोरोना को मात देने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने एक वर्ष के भीतर चार वैक्सीन कोरोना को रोकने के लिए विभिन्न देशों में तैयार की हैं। जबकि कुछ अन्य वैक्सीन अभी निर्माणाधीन है। आशा है कि अभी कम-से-कम दो नई वैक्सीन सामने आ जाएंगी। इनमें से एक ब्रिटेन की और एक भारत की है। मगर इनके आने से पहले ही धर्म के नाम पर इसका विरोध करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। पहले मुसलमानों के एक वर्ग ने इसका विरोध शुरू किया था अब इस दौड़ में हिंदू महासभा भी शामिल हो गई है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि कोरोना वैक्सीन भारतीयों को न दी जाए। क्योंकि इसमें गाय का खून मिलाया गया है। हमें यह मालूम नहीं कि स्वामीजी को यह सूचना कहां से मिली मगर यह चर्चा है कि एक मुसलमान दंपत्ति ने इसको तैयार किया है इसलिए उन्होंने फौरन यह अनुमान लगा लिया कि इसमें गाय का खून या उसकी चर्बी जरूर शामिल होगी। यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि उनकी वैक्सीन में सुअर की चर्बी शामिल नहीं हुई है। मगर अब गाय का मसला आने से मामला और भी पेचीदा हो गया है। क्या अब धार्मिक नेताओं का यही काम रह गया है कि वे हर काम का विरोध करें जो कि जनकल्याण के लिए किया जा रहा है? ये लोग जानबूझकर ऐसे मामले उठाते हैं जिससे वे पब्लिसिटी प्राप्त कर सकें। ■

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

इंकलाब (23 दिसंबर) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा भाग लिया। 56 वर्ष के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ विश्वविद्यालय के किसी समारोह में शामिल हुआ है। इससे पूर्व 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। इस समारोह में विश्वविद्यालय के चांसलर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित थे। विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो. तारिक मंसूर ने प्रधानमंत्री का उल्लेख करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया है। चांसलर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने कहा कि इस्लाम में शिक्षा का बहुत महत्व है। मुसलमानों का यह कर्तव्य है कि वे अपने ज्ञान से कौम को लाभ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके कार्यों की जितनी तारीफ की जाए कम है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय देश के शिक्षा इतिहास में एक बहुमूल्य विरासत है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक 'मिनी इंडिया' है। यह सारे राष्ट्र के लिए शक्ति केन्द्र है। उन्होंने कहा कि कोविड की महामारी के दौरान मुस्लिम विश्वविद्यालय ने समाज की उल्लेखनीय सेवा की है। लोगों की जांच और कोविड के लिए अलग वार्ड तैयार किया गया और प्रधानमंत्री केयर फंड में एक मोटी रकम दी गई। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित लोग देश की तरक्की के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें एक जगह पर संग्रहित हैं। धार्मिक सद्भावना के लिए अलीगढ़ शानदार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद ने कहा था कि जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और कार्य क्षेत्र में आते हैं तो आपको बिना भेदभाव, जाति-पाति, धर्म या पंथ की चिंता किए सभी के उत्थान के लिए कार्य करना होगा। यह ऐसी विचारधारा है जिसका हमें हमेशा पालन करना चाहिए और इस भावना को हमेशा ताकतवर बनाना चाहिए। हमें मिल-जुलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के परिसर में 'एक भारत बेहतरीन भारत' के लिए मजबूती से काम करना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने हजारों लोगों को नया जीवन दिया है। उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया है और उन्हें समाज और कौम के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि गत 70 वर्षों में मुस्लिम लड़कियों के स्कूल में शिक्षा अधूरी छोड़ने का प्रतिशत 70 प्रतिशत से भी ज्यादा था जो सरकार के प्रयास से घटकर 30 प्रतिशत ही रह गया है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में अरबी और फारसी भाषा में जो अनुसंधान किया जा रहा है वह बेमिसाल है। विशेष रूप से इस्लामिक शिक्षा के क्षेत्र में जो

अनुसंधान किया गया है उससे इस्लामिक वर्ल्ड में भारत का सिर गर्व से उंचा हुआ है। मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंधों को नई शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र जहां भी जाते हैं भारत की गंगा जमुनी तहजीब और साझी विरासत को प्रोत्साहन देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने विदेशी दौरों के दौरान इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों से काफी ज्यादा मिला हूं और उन्होंने मुझे बड़े गर्व से बताया कि उन्होंने मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी नागरिक धर्म और जात-पात से उंचा उठकर सबका विकास और सबके विश्वास में पीछे नहीं रहेगा। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने सीमांत गांधी (खान अब्दुल गफ्फार खान) और डॉ. जाकिर हुसैन जैसे भारत रत्न तैयार किए हैं।

इंकलाब ने 23 दिसंबर के संपादकीय में यह दावा किया है कि पहली बार देश के न्यूज चैनलों में सच बोला गया और सच बोलने वाला कोई नहीं बल्कि इस देश का प्रधानमंत्री था। बड़े-बड़े भक्त हैरान थे कि मोदीजी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में क्या-क्या बातें कह रहे हैं? कल तक जो न्यूज चैनल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को साम्प्रदायिकता का केन्द्र बताया करते थे, मीडिया का वह सेक्शन जो अलीगढ़ के खिलाफ निरंतर जहर उगला करता था आज दिनभर उन्होंने मोदी जी की जुबानी वह सच सुन लिया जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पास होने वाला हर छात्र कहता था। आज मोदी जी भी यह कह रहे हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय भारतीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थान है। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में 'मिनी इंडिया' बसता है। मोदी जी का यह बयान उनलोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो मुस्लिम विश्वविद्यालय को 'मिनी पाकिस्तान' कहकर अपनी दिल की भड़ास निकाला करते थे। मोदीजी ने यह भी कहा है कि इस विश्वविद्यालय में जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता नजर आती है वह न सिर्फ विश्वविद्यालय की शक्ति है बल्कि देशभर की शक्ति है। शुक्र है कि प्रधानमंत्री ने इस विश्वविद्यालय के स्वर्णिम इतिहास को दुनिया के सामने उजागर किया है। आज के समारोह में मोदी ने जो कुछ कहा है वह साम्प्रदायिक तत्वों का मुंह बंद करने के लिए काफी है। हालांकि यह बात अलग है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने वाले ये तत्व बाज नहीं आयेंगे।

रोजनामा सहारा ने 23 दिसंबर के संपादकीय में कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक शानदार इतिहास है जिसे प्रधानमंत्री ने आज दुनिया के सामने उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि यह विश्वविद्यालय 'मिनी इंडिया' और देश की गौरवशाली विरासत है। जिसे अनेकता में एकता देखनी है वह एक बार अलीगढ़ विश्वविद्यालय के परिसर को देख ले। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय भारतीय स्वभाव का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने यह भी स्वीकार किया है कि हर संकट की घड़ी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने समाज कल्याण के क्षेत्र में शानदार भूमिका निभाई है। समाचारपत्र ने यह आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री के संबोधन से देश के लोगों को नई दिशा मिलेगी। इस विश्वविद्यालय के छात्रों को स्वयं को भारतीय संस्कृति का प्रवक्ता समझना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 दिसंबर) ने प्रधानमंत्री मोदी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण का विश्लेषण करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उन छात्रों का जिक्र नहीं किया है जो कि नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन में मोदी और योगी की पुलिस के डंडों के निशाने पर थे। जिन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया। लोग 15 दिसंबर, 2019 की काली रात और पुलिस के कहर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के झूठ को भी कैसे भूल सकते हैं? योगी ने कहा था कि विश्वविद्यालय के 15 हजार छात्र अलीगढ़ को जलाने के लिए सड़कों पर उतरे थे इसलिए पुलिस को विश्वविद्यालय परिसर में दाखिल होना पड़ा और हालात को काबू करना पड़ा। अर्थात् मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र दंगाई थे। हालांकि वे अपने अधिकार की जंग लड़ रहे थे। उन्हें संविधान ने जो अधिकार दिए थे उसे बरकरार रखने की वे मांग कर रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री के चहेते योगी और अमित शाह ने उसे पुलिस के हिंसक उत्पीड़न में बदल दिया। मोदी के भाषण में उस याचिका का भी कोई उल्लेख नहीं था जिसमें यह कहा गया है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। अर्थात् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुस्लिम संस्थान नहीं है। यह न जाने कौन सा 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' है।

मोदी ने यह तो कहा है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि जिन्हें कभी उन्होंने कुत्ते का पिल्ला कहा था उनके साथ मिलकर कोई कैसे काम कर सकता है? उन्हें तो हमेशा कोई गिरिराज सिंह, कोई साध्वी प्राची, कोई साक्षी महाराज पाकिस्तान जाने की नसीहत देता नजर आता है। मोदी ने यह भी उल्लेख नहीं किया कि इस विश्वविद्यालय को देशद्रोहियों का गढ़ कहा गया था। यह कहने वाले भाजपा के ही सांसद सतीश गौतम थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर हंगामा खड़ा कर दिया था। एक ऐसा हंगामा जिसने पुलिस और गुंडों को छात्रों पर हिंसा करने की खुली छूट दे दी थी। क्या मोदी भूल गए कि इस विश्वविद्यालय को राजा महेन्द्र प्रताप की वर्षगांठ मनाने और मंदिर बनाने के लिए आंदोलन चलाने के बहाने फूंक डालने की नापाक साजिश भाजपाईयों ने ही रची थी?

हमारा समाज (25 दिसंबर) में ए. रहमान ने अपने कॉलम में कहा है कि जब विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने मोदी को विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेने का निमंत्रण दिया था तो कुछ कथित बुद्धिजीवियों ने उसका विरोध किया था। ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए पत्रकारिता जगत और राजनीति में सर सैयद अहमद को एक लेबल के तौर पर इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिस तरह से सर सैयद अहमद की महानता का उल्लेख किया है वह बेमिसाल है। जो लोग पिछले कई वर्षों से इस विश्वविद्यालय को आतंकवाद का गढ़ घोषित कर रहे थे उनके मुंह पर प्रधानमंत्री का यह बयान कड़ा तमाचा है। अब यह आशा करनी चाहिए कि भविष्य में किसी को मुस्लिम विश्वविद्यालय की शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं होगी। लेख में यह दावा किया गया है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में इस देश में इतने डाक टिकट जारी किए गए हैं जो कि दुनिया में आज तक किसी भी विश्वविद्यालय के नाम पर जारी नहीं किए गए हैं। प्रधानमंत्री का

यह संबोधन विश्वविद्यालय के विश्व में विख्यात होने के साथ-साथ उसके महत्व और गौरव का पुष्टि-पत्र है। अब प्रधानमंत्री के एक-एक शब्द को इस विश्वविद्यालय के लोगों को भुनाने का प्रयास करना चाहिए।

अवधनामा (24 दिसंबर) ने डॉ. सलीम खान का एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें प्रधानमंत्री के भाषण की आलोचना करते हुए लेखक ने कहा है कि क्या अलीगढ़ में पढ़े हुए लोग इस देश में नहीं हैं जो उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री को विदेश जाना पड़ा? इस देश के अंदर मौजूद अलीगढ़ के लाखों छात्रों से मिलने का प्रधानमंत्री को आज तक क्यों मौका नहीं मिला? बड़ी अजीब बात है कि प्रधानमंत्री 50 वर्ष से राजनीति में हैं मगर इससे पूर्व उन्हें अलीगढ़ की ओर झांकने तक का मौका नहीं मिला। अगर किसी भय के कारण वहां नहीं जा सके तो उन्हें कम-से-कम संसद के पुस्तकालय में जाकर या गूगल पर ही जाकर कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते। प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वह सुनी-सुनाई बातों के आधार पर भाषण दे। अगर यह देश वास्तव में 'सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास' के रास्ते पर अग्रसर है तो दुनिया भर के देश भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन पर क्यों चिंता प्रकट कर रहे हैं? दक्षिण-पूर्वी एशिया के विख्यात संगठनों ने अपनी रिपोर्ट में क्यों यह दावा किया है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए बहुत ही खतरनाक और हिंसक स्थान बन चुका है? यह सब 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद ही तो हुआ है। भाजपा में हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। मोदीजी दिखाने वाले दांत हैं जो दुनिया भर में सरकार की गुडविल बनाने का काम करते हैं। मगर इन दिखावे की बातों के साथ-साथ हकीकत का भी जिक्र तो होना चाहिए। इस बात को कौन भूल सकता है कि अभी एक वर्ष पूर्व नागरिकता कानून के आंदोलन के दौरान भाजपा के एक नेता ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में आकर कहा था कि यह दुश्मनों का गढ़ है और देश के दुश्मनों को कुत्ते की मौत मारा जाएगा। उनका इशारा इसी विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर था। पुलिस फोर्स को यह आदेश दे दिया गया था कि ऐसे देशद्रोहियों को फर्जी मुठभेड़ों में मार दिया जाए।

प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के ऐसे लोगों को महत्त्वपूर्ण पदों पर बैठाने की बजाय उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूंस देना चाहिए। अगर ऐसी नीति अपनाई गई तो हर रोज किसी न किसी भगवे नेता को जेल भेजना पड़ेगा। क्या मोदी ऐसा करने की स्थिति में हैं? मोदी ने अपने भाषण में एक और बात कही है कि अगर देश के नवनिर्माण में मुस्लिम विश्वविद्यालय से सलाह मिले तो इससे कोई अच्छी बात नहीं होगी। वैसे कुछ लोगों ने राय दी थी जिनसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने भय के कारण पल्लू झाड़ लिया था। वैचारिक मतभेद होते हैं लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आए तो उन्हें ताक पर रख देना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाजपा की सारी नीति ही हिंदू-मुस्लिम विवादों को उछालकर वोट बटोरने की है। इसी लक्ष्य से जनता में मतभेद और विवाद पैदा किया जाता है। लेकिन मोदी जी उन्हें रोकने के बजाय मूकदर्शक बने रहते हैं। यह दुनिया सिर्फ प्रवचन और नसीहत से नहीं चलती बल्कि शासकों से यह आशा की जाती है कि वे अपने प्रवचनों को कार्यान्वित करें।

ओवैसी द्वारा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पैर फैलाने की तैयारी

रोजनामा सहारा (17 दिसंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। मजलिस के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ के एक होटल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और राज्य की छोटी-छोटी पार्टियों को एक मंच पर लाकर राज्य में अपने पैर फैलाने के मंसूबे की घोषणा कर दी। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम एक साथ हैं और राजभर जी के नेतृत्व में आने वाले विधान सभा चुनाव की तैयारियों को शुरू कर रहे हैं। इस अवसर पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मन्नान ने मजलिस में शामिल होने की घोषणा की। ओवैसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए कहा कि हालांकि अभी हमने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी हमसे घबरा गई है और उन्होंने हमारे खिलाफ निराधार आरोपों का अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने भाजपा से कभी समझौता नहीं किया मगर अटलजी वाली सरकार में ममता बनर्जी स्वयं भागीदार थीं। जब गुजरात में दंगे हुए तो उस समय उन्हें अल्पसंख्यकों की याद नहीं आई? तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए मैदान तैयार करने के आरोप के जवाब में ओवैसी ने कहा कि टीएमसी का भाजपा से पुराना रिश्ता है और 2019 में लोकसभा के चुनाव में टीएमसी की सहायता से भाजपा ने 17 सीटें जीती थीं। उन्होंने कहा कि ओवैसी को पैसों से कोई नहीं खरीद सकता। ममता को अपने घर की फिक्र करना चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी के काफी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं।

इसी समाचारपत्र ने एक अन्य समाचार प्रकाशित किया है जिसमें ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करके हैदराबाद की एक पार्टी को ला रही है ताकि वह मुस्लिम वोटों को विभाजित करके चुनाव जीत सके। ओवैसी ने हाल ही में बंगाल विधान सभा चुनाव में भाग लेने की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि बंगाल की राजनीति को साम्प्रदायिक मोड़ देने के कारण सभी सेकुलर पार्टियों को नया खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने दावा किया कि ओवैसी के मैदान में आने से भाजपा को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में आसानी होगी। पश्चिम बंगाल में विधान सभा की 110 सीटें ऐसी हैं जिनमें विजय की कुंजी मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में है। 2016 विधान सभा चुनावों में मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया था और 32 मुस्लिम विधायक तृणमूल के टिकट पर निर्वाचित हुए जबकि 18 कांग्रेस, 8 सीपीएम व एक विधायक फॉरवर्ड ब्लाक के टिकट पर जीता था।

इंकलाब (17 दिसंबर) के अनुसार ओवैसी ने एक लेख में यह दावा किया है कि बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी की जागीर नहीं हैं। जो मुसलमान अपनी कौम के लिए सोचते हैं वे ममता के साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक आपने मुसलमानों के नेताओं को खरीदकर कामयाबी हासिल की है। एक अन्य रैली में ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि भाजपा उनकी पार्टी के नेताओं को प्रलोभन और ब्लैकमेल करके खरीदने का प्रयास कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता काम के आधार पर वोट देगी। धन की थैलियों के आधार पर नहीं।

इंकलाब (25 दिसंबर) के अनुसार ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियों को संकल्प मोर्चे के रूप में एक मंच पर लाने का फैसला किया है। ओम प्रकाश राजभर ने इस बात का संकेत दिया है कि शिवपाल यादव की पार्टी भी ओवैसी द्वारा बनाए जाने वाले मोर्चे में शामिल हो सकती है। इस मोर्चे में अंसारी पार्टी और कौमी एकता दल भी शामिल हो सकते हैं। राजभर ने दावा किया कि उनका मोर्चा उत्तर प्रदेश की 20 विधान सभा सीटों पर भाजपा को हराएगा। उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों और छोटी पार्टियों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं।

लव जिहाद के कानून पर विवाद

रोजनामा सहारा (31 दिसंबर) ने यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद विरोधी कानून के तहत एक महीने में 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संवाद समिति आईएएनएस ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लव जिहाद कानून के तहत 16 मामले दर्ज किए हैं जिसमें 86 व्यक्ति आरोपी हैं। इनमें से अबतक 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि अन्य 31 लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जिन 54 लोगों को पकड़ा गया है वे सभी मुसलमान हैं। जबकि जिन हिन्दू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी की है उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। नए कानून के तहत सबसे ज्यादा मामले एटा जिले

में दर्ज किए गए हैं। इनमें से 14 के खिलाफ एक ही मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि अधिकांश मामले संबंधित लड़कियों के परिवारजनों की शिकायतों पर दर्ज किए गए हैं। गत एक महीने में बिजनौर और शाहजहांपुर में दो-दो, फिरोजाबाद, एटा, बरेली, मुरादाबाद, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, मऊ और गौतम बुद्ध नगर में एक-एक मामला दर्ज किया गया है। एटा जिला में एक स्थानीय व्यापारी ने मोहम्मद जावेद के खिलाफ अपहरण और गैरकानूनी तौर पर एक लड़की का धर्मांतरण करने के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया था उस सिलसिले में जावेद के परिवार के 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि बारह अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उसमें से 16 व्यक्तियों के खिलाफ चिरैयाकोट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में शबाब खान उर्फ राहुल और उसके 13 सहयोगियों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि शबाब पहले से ही विवाहित है। उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक 27 वर्षीय महिला का जबरन अपहरण कर लिया।

इंकलाब (31 दिसंबर) ने प्रमुख समाचार के रूप में एक समाचार प्रकाशित किया गया है जिसमें यह दावा किया गया है कि 100 से ज्यादा सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए कानून का विरोध किया है और कहा है कि सरकारी मशीनरी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से काम कर रही है इसलिए इस अध्यादेश को तत्काल वापस लिया जाय। सरकारी सूत्रों ने यह दावा किया है कि जिन पूर्व अधिकारियों ने यह पत्र लिखा है उनमें से अधिकांश कांग्रेसी और वामदलों से संबंधित हैं। इस पत्र पर जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं उनमें डॉ. मनमोहन सिंह के पूर्व सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरूपमा राय, मनमोहन सिंह के पूर्व सलाहकार टी.के.ए. नायर और वजाहत हबीबुल्लाह आदि शामिल हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि सरकार ने लव जिहाद के विरुद्ध जारी किया जाने वाला अध्यादेश मंजूर कर लिया है और उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है।

इंकलाब (30 दिसंबर) के अनुसार जैसे ही राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त होती है इसे तत्काल पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अध्यादेश को भी इसमें शामिल किया गया है। इस अध्यादेश में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी को प्रलोभन, धमकी या किसी धोखे से धर्मांतरण नहीं कर सकेगा और कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के किसी अभियान में शामिल नहीं हो सकेगा। इस अध्यादेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे एक वर्ष से 5 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यदि इस मामले में कोई किशोरी दलित या अनुसूचित जाति से संबंधित हो तो उसका धर्मांतरण करने वाले को 3 से 10 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है और अगर कोई व्यक्ति दो से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराता है तो उसमें 5 से 10 वर्ष की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। लव जिहाद की नीयत से की गई शादी अवैध घोषित होगी और ऐसे विवाहों के

कारण पैदा होने वाले बच्चे पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होंगे।

सहाफत (30 दिसंबर) के अनुसार नोबल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन ने कहा है कि लव जिहाद के नाम पर बनने वाले कानून देश के संविधान के खिलाफ है और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां प्रेम है वहां जिहाद नहीं होता। प्रेम के मामले में किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह मानव के बुनियादी अधिकारों में हस्तक्षेप है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। देश के संविधान में इसकी व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह भारतीय संस्कृति की तौहीन है और उस पर हमला है और इसे सहन नहीं किया जा सकता।

इंकलाब (19 दिसंबर) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी लव जिहाद अध्यादेश के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इस संदर्भ में राज्य सरकार को नोटिस जारी करके 4 जनवरी तक शपथपत्र पेश करने की हिदायत दी है। उच्च न्यायालय ने नदीम नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है जिसे लव जिहाद अध्यादेश के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति पंकज और विवेक अग्रवाल ने राज्य की पुलिस को यह निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी नहीं करेगी। न्यायाधीशों ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि इनके सामने कोई ऐसा प्रमाण पुलिस ने पेश नहीं किया जिनके तहत उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नदीम की पत्नी ने उस पर दबाव डालने, अवैद्य रूप से संबंध बनाने और धर्मांतरण के लिए विवश करने के जो आरोप उस पर लगाए थे उसे पुष्ट करने के लिए भी कोई प्रमाण पेश नहीं कर सकी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सैयद फरमान नकवी ने न्यायालय के सामने कहा कि नदीम के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। नदीम का अक्षय कुमार पर कुछ धनराशि बकाया थी इसलिए उसने इसे झूठे मुकदमें में फंसाया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस अध्यादेश का गलत इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है और अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने बरेली का उदाहरण भी पेश किया और कहा कि यह अध्यादेश विशेष विवाह कानून के खिलाफ है जिसमें इस बात की व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद से शादी कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय संविधान की धारा 25 के भी खिलाफ है जिसमें हर व्यक्ति को अपने मन का धर्म अपनाने और उसका पालन करने की अनुमति दे रखी है। तीन याचिकाकर्ताओं को न्यायालय में पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। हालांकि न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है।

सियासत (20 दिसंबर) के अनुसार मुरादाबाद के राशिद और सलीम को लव जिहाद के आरोप में पुलिस ने जेल भेजा था। पुलिस ने यह कार्रवाई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और लव जिहादी की शिकार पिंकी की मां की लिखित शिकायत के बाद की थी। लड़की पिंकी पुलिस के सामने फरियाद करती रही कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और राशिद ने उससे धोखा नहीं किया है। फिर भी पुलिस ने पिंकी को सेल्टर होम और राशिद के साथ-साथ उसके भाई सलीम को

जेल भेज दिया। मगर न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए पिंकी को ससुराल जाने की अनुमति दे दी और अब राशिद और सलीम को भी जेल से रिहा कर दिया गया। आरोप यह है कि नारी-निकेतन में पिंकी के साथ मारपीट की गई और उसे जबर्दस्ती एक इंजेक्शन दिया गया जिसके कारण उसका गर्भपात हो गया।

सियासत (29 दिसंबर) के अनुसार गुजरात ने भी लव जिहाद को रोकने के लिए एक कानून लाने की घोषणा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति धोखे से शादी करता है तो उसे रोकने के लिए सख्त कानून होना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार विचार कर रही है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वडोदरा में हाल ही में एक 23 वर्षीय हिंदू महिला ने एक मुसलमान से प्रेम विवाह किया था। अब उस पर इस बात के लिए जोर डाला जा रहा है कि वह अपने विवाह को तोड़ दे। एक विधायक शैलेश मेहता ने सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात में भी लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाया जाए ताकि महिलाओं का शोषण रोका जा सके। भाजपा की इस मांग की अल्पसंख्यकों में जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुई है। माइनोरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक मुजाहिद नफीस ने मांग की है कि जो लोग लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग कर रहे हैं उनको फोरन गिरफ्तार किया जाए क्योंकि इस वक्त गुजरात में 50-60 लाख मुसलमान आबाद हैं जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम नेता जाहिद कादरी ने कहा है कि अगर रूपाणी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून लाती है तो हम उसे न्यायालय में चुनौती देंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा है कि भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी मर्जी से जिससे चाहे शादी कर सकता है। अगर कोई ऐसा कानून आता है तो वह संविधान के खिलाफ होगा। वरिष्ठ पत्रकार कलीम सिद्दीकी ने कहा है कि संघ जानबूझकर हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहता है।

हमारा समाज (21 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में लव जिहाद विरोधी अध्यादेश जारी करने के लिए योगी सरकार की निंदा की है। समाचारपत्र ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है- 'मोहब्बत की दुश्मन उत्तर प्रदेश सरकार'। समाचारपत्र ने मुरादाबाद में सलीम और राशिद की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि न्यायालय ने पुलिस की मनमानी की धज्जियां उड़ाते हुए पिंकी को ससुराल वालों को सौंप दिया है और उसके भाई को जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि भाजपा की साम्प्रदायिक सरकार जानबूझकर मुस्लिम युवकों का जीवन तबाह करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर रही है। एक ओर तो मुख्यमंत्री यह घोषणा करते हैं कि उनकी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी और दूसरी ओर मुसलमानों को चुन-चुनकर अपना निशाना बना रही है।

हमारा समाज ने ही 29 दिसंबर के संपादकीय में यह शिकायत की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बजरंग दल जैसे मुस्लिम विरोधी संगठनों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। मुरादाबाद में इन संगठनों के दबाव पर एक दम्पत्ति को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वह अपनी शादी को न्यायालय में पंजीकृत करवाने का प्रयास कर रहा

था। साफ है कि भाजपा जानबूझकर एक वर्ग की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करके उसे परेशान कर रही है जो कि भारतीय संविधान के खिलाफ है।

सहाफत (30 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में भाजपा की सरकारों की आलोचना करते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के अभियान के तहत भाजपा द्वारा शासित राज्य सरकारें न्यायपालिका से टक्कर ले रही हैं और लव जिहाद के काले कानून के तहत राज्य के कई भागों में झूठी रिपोर्टें पुलिस ने दर्ज की हैं। हालांकि ये रिपोर्ट सरासर निराधार हैं और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के तहत दर्ज की गई हैं।

इंकलाब (23 दिसंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के एटा नगर में एक महीने पहले 21 वर्षीय लड़की ने दिल्ली के एक लड़के से प्रेम विवाह किया था। अब इस मामले में पुलिस ने इस लड़की के पति और उसके सभी परिवारजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और छह लोगों को जेल भेज दिया है। जिन लोगों को जेल भेजा गया है उनमें 25 वर्षीय मोहम्मद जावेद और उसके परिवार की तीन महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने इस हिंदू लड़की को उसके घर से अपहरण करके उसका धर्मांतरण करवाया था। यह मुकदमा इस लड़की के पिता की शिकायत पर दर्ज किया गया है और अभी पांच और व्यक्तियों की गिरफ्तारी की संभावना है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपये इनाम की घोषणा भी की है।

बाबरी मस्जिद के बदले में बनने वाली मस्जिद विवादों के घेरे में

इंकलाब (24 दिसंबर) के अनुसार बाबरी मस्जिद के बदले में अयोध्या के समीप धन्नीपुर गांव में वैकल्पिक मस्जिद बनाने पर विवादों का सिलसिला तेज हो गया है। बाबरी मस्जिद मुकदमें में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वैकल्पिक मस्जिद बनाने के लिए जो भूमि दी गई है वह

शरीयत और वक्फ एक्ट की दृष्टि से गलत है। इसलिए अगर उस पर कोई मस्जिद बनाई जाती है तो वह भी मुस्लिम शरा के खिलाफ ही होगी। हालांकि बोर्ड के महामंत्री ने उनके इस कथन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। मगर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का कहना है कि अगर यह भूमि बाबरी मस्जिद के वैकल्पिक है तो यह मुस्लिम शरा के खिलाफ कैसे है? अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसे न्यायालय से संपर्क करना चाहिए। रामजन्म भूमि–बाबरी मस्जिद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हालांकि एक वर्ष गुजर चुका है मगर विवाद का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पांच एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी है उस पर विवाद जारी है। जफरयाब जिलानी का कहना है कि शरीयत में वक्फ की गई भूमि के लेनदेन पर सख्त प्रतिबंध है। उसके विकल्प के तौर पर भूमि लेना भी इस्लाम के खिलाफ है। वक्फ एक्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में धन्नीपुर में यूपी वक्फ बोर्ड को बाबरी मस्जिद के विकल्प के रूप में जो भूमि दी गई है उसे स्वीकार करके शरियत और वक्फ एक्ट दोनों का उल्लंघन किया गया है जो कि इस देश के कानून का भी उल्लंघन है। इस भूमि पर मस्जिद का निर्माण कतई जायज नहीं है। बाकी जो भी भवन बनवा लें मगर यहां पर निर्माण की जाने वाली मस्जिद में नमाज अदा करना जायज नहीं है। जिलानी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी यही धारणा है। गत वर्ष 17 नवम्बर को बोर्ड की मिटिंग में यह तय हो चुका है कि मस्जिद के बदले जमीन नहीं ली जा सकती। इस वर्ष अक्टूबर महीने में भी बोर्ड की बैठक में यह तय हुआ था कि अगर वहां कोई मस्जिद बनाई जाती है तो वह शरा के खिलाफ होगी और वक्फ एक्ट का उल्लंघन होगी।

सियासत (24 दिसंबर) के अनुसार इस मामले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति के अधिवेशन में मजलिस के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया था और एक अन्य सदस्य एस.क्यू.आर. इल्यिास ने कहा था कि मस्जिद की भूमि के विकल्प को वक्फ कानून के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के बदले में किसी भी अन्य स्थान पर मस्जिद के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैकल्पिक भूमि देने की योजना का विरोध किया था और कहा था कि हमें यह भूमि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह साफ किया था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर नहीं बनाई गई है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सरकार के दबाव में काम कर रहा है। मस्जिद ट्रस्ट को इसी बोर्ड ने बनाया है और यह ट्रस्ट केवल मस्जिद निर्माण के लिए ही बनाया गया है। इसलिए उसकी राय का कोई महत्व नहीं है। दूसरी ओर धन्नीपुर मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मस्जिद के लिए जो भूमि दी है वह भला कैसे गैरकानूनी हो सकती है। निहित स्वार्थों के कारण हर आदमी अपनी राय व्यक्त कर रहा है। मस्जिद वह स्थान है जहां पर नमाज अदा की जाती है। अगर हम एक मस्जिद का निर्माण करते हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर वह मस्जिद है तो उसमें नमाज क्यों अदा नहीं की जा सकती?

रूसी मिसाइल सिस्टम की खरीद पर प्रतिबंध

रोजनामा सहारा (17 दिसंबर) के अनुसार ट्रम्प प्रशासन ने नाटो के सहयोगी देश तुर्की पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं क्योंकि उसने अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदने का सौदा किया है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुट काउसोग्लु ने एक बयान में अमेरिकी फैसले की निंदा की है और यह आशा व्यक्त की है कि अमेरिका अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेगा। ज्ञातव्य है कि तुर्की ने 2017 में रूस से एस-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। अमेरिका का कहना था कि रूसी मिसाइल सिस्टम नाटों की रक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। जबकि तुर्की ने इस बात से इनकार किया है। मीडिया ने दावा किया है कि इस मिसाइल व्यवस्था से अमेरिका के आधुनिकतम युद्ध विमान एफ 25 को गिराया जा सकता है। अमेरिका ने उसे आधुनिकतम युद्ध विमान सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने तुर्की को किसी भी तरह का सैनिक उपकरण सप्लाई करने से इनकार कर दिया है और उसके निर्यात लाइसेंस और कर्जों पर रोक लगा दी है। तुर्की ने कहा है कि हम अपने राष्ट्र हित में कोई भी निर्णय कर सकते हैं और उसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

रोजनामा सहारा (16 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका द्वारा तुर्की पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का यूनान (ग्रीस) ने स्वागत किया है और कहा है कि तुर्की यूनान और साइप्रस के जिन इलाकों पर दावा कर रहा है। उसने हाल ही में इन देशों की सीमा में तेल और गैस का जो तलाश कार्य शुरू किया है वह उनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है जिसे सहन नहीं किया जा सकता। यूनान कहा है कि अमेरिका के इस फैसले से नाटो संधि के देशों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।

इंकलाब (18 दिसंबर) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी प्रतिबंधों की

निंदा करते हुए कहा है कि यह तुर्की की स्वतंत्रता पर हमला है जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पाबंदियों का लक्ष्य तुर्की की रक्षा व्यवस्था के विकास को रोकना और उसे पंगु बनाना है। अमेरिका यह चाहता है कि तुर्की हमेशा के लिए सैनिक सामान खरीदने के लिए अमेरिका पर निर्भर बना रहे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने उनके खिलाफ पाबंदी लगाने के लिए जिस कानून का सहारा लिया है उसका इस्तेमाल आजतक नाटो के किसी सहयोगी देश के खिलाफ नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में हमारे लिए नाटो संधि में शामिल रहने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपनी रक्षा व्यवस्था के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे और अगर अमेरिका द्वारा हम पर कोई आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो हमें उसकी कोई भी परवाह नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई भी देश हम पर किसी तरह का दबाव डाले।

इंडोनेशिया और ट्यूनीशिया द्वारा इजरायल को मान्यता से इनकार

इंकलाब (17 दिसंबर) के अनुसार इंडोनेशिया और ट्यूनीशिया ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वे इजरायल को न तो मान्यता दे रहे हैं और न ही उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायल के साथ संबंध बढ़ाना उनके एजेंडे में शामिल नहीं है और इस संदर्भ में जो प्रचार किया जा रहा है वह निराधार है।

ज्ञातव्य है कि अमेरिकी दबाव के कारण अनेक अरब देशों ने हाल ही में इजरायल को मान्यता दी है और उसके साथ समझौते भी किए हैं। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल हैं। इजरायल ने दावा किया है कि शीघ्र ही उसके सऊदी अरब के साथ संबंध स्थापित हो सकते हैं। दूसरी ओर इजरायल के कुछ अधिकारियों ने यह इशारा किया है कि ईरान के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने के लिए इजरायल और अन्य अरब देश एक रक्षा व्यवस्था तंत्र स्थापित कर सकते हैं।

अफगानिस्तान में कुरान पाठ के दौरान धमाका

रोजनामा सहारा (19 दिसंबर) के अनुसार अफगानिस्तान के गजनी प्रदेश में कुरान पाठ के एक समारोह में धमाका होने के कारण कम-से-कम 30 लोग मारे गए और 22 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि जहां कुरान का पाठ किया जा रहा था वहां रखे गए एक मोटरसाइकिल में धमाका हुआ। इस समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। अभी तक इस हमले की जिम्मेवारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है। हालांकि तालिबान और अफगान सरकार के बीच कई महीनों से समझौते की शांति वार्ता चल रही है, मगर इसके बावजूद भी धमाकों का सिलसिला निरंतर जारी है।

रोजनामा सहारा (30 दिसंबर) के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान ने चार स्थानों पर सैनिकों को अपना निशाना बनाया जिसके कारण कम-से-कम 14 सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। पहला आत्मघाती हमला पुलिस हेडक्वार्टर पर हुआ, जबकि दूसरा धमाका गजनी में हुआ और तीसरा धमाका ख़ोस्त में हुआ। काबुल में हुए धमाके में डिप्टी गवर्नर और उनके रक्षक मारे गए। हाल ही में इस्लामिक स्टेट ने यह घोषणा की थी कि वह अफगान सैनिकों को अपना निशाना बनाता रहेगा

बोको हरम द्वारा अपहृत बच्चे रिहा

इंकलाब (19 दिसंबर) के अनुसार नाइजीरिया में आतंकवादी इस्लामिक संगठन बोको हरम के खिलाफ सैनिक अभियान सफल रहा है और इन इस्लामिक आतंकवादियों ने जिन 400 से अधिक बच्चों को बंधक बनाया था उनमें से 344 छात्रों को सेना ने मुक्त करवा लिया है। इन बच्चों को एक सप्ताह पूर्व बंधक बनाया गया था। समाचार सूत्रों के अनुसार अभी तक कुछ बच्चे बोको हरम के आतंकवादियों के कब्जे में हैं जिनके खिलाफ सैनिक अभियान जारी है। नाइजीरिया में बोको हरम के आतंकवादी गत एक दशक से सक्रिय हैं। अभी तक वे हजारों नागरिकों की हत्या कर चुके हैं। अप्रैल 2013 में भी इस संगठन ने एक स्कूल पर हमला करके 246 छात्राओं को अपने कब्जे में कर लिया था। ये छात्रायें अभी तक लापता हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने सैनिकों को सफल अभियान के लिए बधाई दी है। बताया जाता है कि इस स्कूल पर 100 से अधिक सशस्त्र इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला किया था। आरोप यह है कि 2014 में इन आतंकवादियों ने जिन छात्राओं का अपहरण किया था उन्हें बाद में गुलाम के रूप में अफ्रीका के अन्य देशों में बेंच दिया गया था।

टिप्पणी : बोको हरम अफ्रीका का सबसे खूंखार जिहादी आतंकवादी संगठन है। इसका पूरा नाम जमात एहल अस-सुन्ना लिद-दावा वल-जिहाद है। जो कि बोको हरम के नाम से विश्व भर में कुख्यात है। इसकी आतंकवादी गतिविधियां नाइजीरिया, चाड, नाइजर और कैमरून जैसे एक दर्जन अफ्रीकी देशों में फैली हुई हैं। इस आतंकवादी संगठन की स्थापना 2002 में मोहम्मद युसूफ नामक व्यक्ति ने की थी। इस संगठन का लक्ष्य विशुद्ध इस्लाम को दुनिया में स्थापित करना है। 2009 से यह खूनी गतिविधियों में लिप्त है और अब तक यह संगठन ढाई लाख निर्दोष लोगों की हत्या कर चुका है। इसकी खूनी गतिविधियों के कारण 23 लाख लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा है। सिर्फ 2014 में इस पर दस हजार लोगों की सामूहिक हत्या करने का आरोप है। इसके अतिरिक्त इस संगठन ने कई लाख अफ्रीकी लोगों को बंधक बनाकर गुलामों के रूप में विभिन्न देशों में बेचा है। 2015 में इस संगठन ने अबू बकर अल-बगदादी के जिहादी संगठन आईएसआईएस से रिश्ता जोड़ा था। यह संगठन पश्चिमी शिक्षा के साथ-साथ ईसाईयों से किसी भी तरह का संबंध रखने के सख्त खिलाफ है। यह संगठन संपूर्ण विश्व में शरिया कानून और सुन्नाह की हुकूमत स्थापित करना चाहता है। इनका संबंध बदनाम इस्लामिक संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन से भी बताया जाता है।

बलात्कारी को नामर्द बनाने का कानून पारित

सियासत (16 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बलात्कार विरोधी अध्यादेश को स्वीकार कर लिया है जिसके तहत बलात्कारी को औषधि देकर नामर्द बनाए जाने की व्यवस्था है। पाकिस्तान में बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को यह कठोर कानून बनाना पड़ा है। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने पिछले महीने इस अध्यादेश का प्रारूप स्वीकार किया था। इस अध्यादेश के अनुसार बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा और ये विशेष न्यायालय पूरे देश में बनाए जाएंगे। चार महीने के अंदर इन न्यायालयों को बलात्कार से संबंधित मामलों में अंतिम फैसला सुनाना होगा। अगर कोई पुलिस वाला या सरकारी कर्मचारी बलात्कार के मामलों में लापरवाही बरतता है तो उसे दस लाख के जुर्माने के साथ-साथ तीन वर्ष की सख्त सजा भी दी जाएगी।

पाकिस्तान के 20 प्रमुख राजनेताओं का जीवन खतरे में

इत्तेमाद (23 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान के कम-से-कम 20 प्रमुख राजनेताओं का जीवन खतरे में है और उनकी हत्या कभी भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिन राजनेताओं के जीवन पर खतरा है उनका संबंध विपक्षी दलों से है जो वर्तमान सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया है कि वे इन विपक्षी नेताओं की हत्या की साजिश रचने वालों पर कड़ी नजर रखें। उनका कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने जीवन और उसकी सुरक्षा के बारे में सतर्क रहें। उन्होंने यह स्वीकार किया कि इमरान सरकार का तख्ता पलटने के लिए पाकिस्तान के 11 विरोधी दलों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे के प्रवक्ता मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल

रही है। देश में अराजकता, भ्रष्टाचार और महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है।

जनमत को जागृत करने के लिए पाकिस्तान में विभिन्न स्थानों पर रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक 11 स्थानों पर ऐसी विशाल रैलियों का आयोजन हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना की आड़ लेकर विपक्षी आंदोलन को दबाना चाहती है, मगर हम इमरान सरकार का तख्ता पलटकर ही दम लेंगे।

ईरान पर आतंकवाद भड़काने का आरोप

सियासत (25 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका ने ईरान पर यह आरोप लगाया है कि तेहरान सरकार सीरिया में गृहयुद्ध को भड़काने के लिए अफगान शरणार्थियों और अन्य लोगों को भर्ती कर रही है। अमेरिका ने ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ के उस बयान का खंडन किया है जिसमें ईरानी विदेश मंत्री ने फारस के न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका की ओर से अफगान शरणार्थियों को जंग के लिए भर्ती किए जाने का आरोप मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। इसके जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि सीरिया में जो आतंकवादी लड़ रहे हैं उनके तार ईरान से जुड़े हुए हैं और ईरान ने ही उन्हें अस्त्र-शस्त्र सप्लाई किए हैं। उनकी भर्ती ईरान में ही की गई थी और इसके बाद उन्हें सीरिया के युद्ध में झोंक दिया गया। ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब इन अफगान शरणार्थियों को सीरिया में युद्ध की ज्वाला भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रही है।

बाद में ईरान ने यह स्वीकार किया कि फातिमी मिलिशिया के झंडे तले सिर्फ दो हजार अफगान जिहादी सीरिया में लड़ रहे हैं। उनसे ईरान का कोई संबंध नहीं है, बल्कि उन्हें अफगानिस्तान से भेजा गया है। पश्चिमी देशों की मीडिया का दावा है कि यह जिहादी संगठन ईरान ने तैयार किया है और उसका लक्ष्य सीरिया में बशर-अल-असद की सरकार का तख्ता पलटना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों से अफगान जिहादियों को भर्ती कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वाच चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में बारह अफगान शरणार्थियों ने यह

दावा किया है कि उन्हें ईरान सरकार ने सीरिया में जंग लड़ने के लिए भर्ती किया था मगर वे वहां से भागकर यूनान आ गए हैं। उनका कहना है कि इन शरणार्थियों को एक योजना के तहत युद्ध के अगले मोर्चों पर तैनात किया जाता है जिसके कारण उनकी मौतों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।

ईरान ने अमेरिकी सरकार के इस आरोप का भी खंडन किया है कि हाल ही में बगदाद के ग्रीन क्षेत्र में जो धमाका हुआ था उसके पीछे ईरान का हाथ था। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काधिमी ने आरोप लगाया है कि बगदाद के ग्रीन जोन में हाल ही में जो रॉकेटों का हमला किया गया था उसमें दो दर्जन से अधिक उच्च इराकी अधिकारी मारे गए थे। उन्होंने दावा किया कि हमने इस हमले का आयोजन करने वाले संदिग्ध गिरोह के एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान जानबूझकर बगदाद में स्थित विदेशी दूतावासों को रॉकेटों से निशाना बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इराक के उच्चाधिकारियों को भी लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में विफल रहे और उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर ईरान के आतंकवादियों ने दूतावासों पर रॉकेट चलाए।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर आठ रॉकेट चलाए गए थे जिसमें कुछ इराकी सैनिक मारे गए और दूतावास के भवन को क्षति पहुंची। बगदाद में अमेरिकी दूतावास ने यह दावा किया है कि उसके स्टाफ के सभी लोग सुरक्षित हैं। भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए दूतावास में मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिया गया है। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि ये हमले ईरान ने अपने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी और अपने सहयोगियों की हर कीमत पर रक्षा करेंगे और जिहादियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा।

अरब जगत को विभाजित करने की साजिश

इंकलाब (30 दिसंबर) के अनुसार इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास ने इजरायल के साथ मुस्लिम देशों के बढ़ते हुए संबंधों पर चिंता व्यक्त की है और इस बात की चेतावनी दी है कि यह अमेरिका द्वारा अरब जगत को विभाजित करने की एक साजिश है। हमास के राजनीतिक विंग के प्रमुख इस्माइल हानियेह ने कहा है कि अमेरिका जानबूझकर इस बात को प्रोत्साहन दे रहा है कि ज्यादा-से-ज्यादा अरब देश इजरायल को मान्यता दें। ताकि अरब और इस्लामिक एकता खंड-खंड हो सके। अगर इस साजिश को नहीं रोका गया तो इसके कारण मुस्लिम देशों का आपस में टकराव बढ़ेगा जिसके कारण इस क्षेत्र से लोगों को अपनी जान-बचाने के लिए भागना पड़ेगा। जो मुस्लिम देश इजरायल को मान्यता देते हैं वे उसकी विस्तारवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं जो कि इस्लामिक हितों के खिलाफ है। अमेरिकी नीति के कारण अरब जगत के देश अमेरिका के दोस्त और दुश्मन के रूप में विभाजित हो रहे हैं।

अमेरिका की यह साजिश है कि इस तरह से इस्लाम को कमजोर किया जाए और मुस्लिम देशों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाए। यही कारण है कि अमेरिका के दबाव के कारण कई अरब देशों ने इजरायल के साथ दोस्ताना संधियां की हैं, जबकि अन्य देश इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इजरायल को किसी भी कीमत पर मान्यता देने का समर्थन नहीं कर सकते। हमारी दुश्मनी और लड़ाई किसी भी मुस्लिम देश के खिलाफ नहीं है। मगर हम हर उस देश का विरोध करेंगे जो इजरायल के साथ मैत्री संबंध बनाता है।

अमेरिका इस क्षेत्र में मुस्लिम देशों के एक ऐसे गुट का निर्माण करना चाहता है जो कि इजरायल को सैनिक और आर्थिक रूप में एक सुदृढ़ देश का रूप लेने में सहयोग दे सके।

इजरायल निरंतर फिलिस्तीनी लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। गाजा की उसने आर्थिक नाकाबंदी कर रखी है और वह अरब देशों को अपने साथ मिलाकर फिलिस्तीनियों के अधिकारों का हनन करना चाहता है। हमास इसे किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। हम अंतिम दम तक इसका विरोध करते रहेंगे।

सऊदी अरब में अतिवादी इमाम बर्खास्त

इंकलाब (17 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब की सरकार ने अतिवादी इस्लामिक संगठनों के समर्थकों के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ दिया है। इख्वानुल मुस्लिमीन से संबंध रखने के आरोप में 100 से अधिक मस्जिदों के इमामों और खतीबों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री अब्दुल लतीफ अल-शेख ने स्थानीय अरब परिसर के अनुरोध पर 100 से अधिक इमामों और खतीबों को उनके पदों से बर्खास्त करने के बारे में आदेश जारी किए हैं। इस्लामिक मामलों के इस मंत्रालय ने देश के सभी इमामों और खतीबों को यह निर्देश दिया था कि वे अतिवादी संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ मस्जिदों में अपने खुतबे दें। मगर इन इमामों और खतीबों ने इस्लामिक अतिवादी संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ खुतबा पढ़ने से इनकार कर दिया था। इस पर इन सभी इमामों को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था। ज्ञातव्य है कि सऊदी अरब सरकार ने इख्वानुल मुस्लिमीन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

इंकलाब (25 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि अतिवादी प्रवृत्ति रखने वाले इमामों को भारी संख्या में नौकरी से हटाया जा चुका है और अब यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम उन्हें नौकरी से नहीं हटाना चाहते थे मगर क्योंकि वे अतिवादी और जिहादी इस्लामिक संगठनों से अपना नाता तोड़ने के लिए

तैयार नहीं थे इसलिए हमें विवश होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। अरब जगत के अनेक देशों ने इख्वानुल मुस्लिमीन के समर्थकों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों में काम करने वाले 150 से अधिक प्राध्यापकों को नौकरी से हटाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अनेक डॉक्टरों और वकीलों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्ञातव्य है कि मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ सेना ने विद्रोह कर दिया था जिस पर मिस्र सरकार ने 2012 में इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया था और उससे संबंधित दस हजार लोगों को जेल में डाल दिया था। इस संगठन से संबंध रखने के कारण 2000 से अधिक लोगों को फांसी पर भी लटकाया जा चुका है।

पाकिस्तान और ईरान द्वारा इजरायल से दूरी बनाए रखने की घोषणा

इंकलाब (25 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तानी सीनेट की विदेश मामलों के कमेटी के प्रमुख मुजाहिद हुसैन ने कहा है कि उनका देश कभी भी इजरायल को न तो मान्यता देगा और न ही उसके साथ किसी तरह का संबंध रखेगा। इस अवसर पर ईरान की विदेश मामलों के कमेटी के प्रमुख ने कहा कि हमारी यह स्पष्ट नीति है कि हम इजरायल को मान्यता न दें और न ही उसके साथ किसी भी प्रकार का सरोकार रखें। उन्होंने कहा कि पूरा अरब जगत या दुनिया भर के मुस्लिम देश इजरायल को भले ही मान्यता दे दें मगर हम अपनी नीति पर अडिग रहेंगे और उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्योंकि इजरायल को हम इस्लाम का दुश्मन नम्बर एक मानते हैं।

दुबई में 50 हजार यहूदी पर्यटक

सियासत (21 दिसंबर) के अनुसार अरब देशों के संबंध इजरायल के साथ दिन-प्रतिदिन सुधर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार गत 15 दिनों में 50 हजार से अधिक यहूदी पर्यटकों ने दुबई का दौरा किया है। अमेरिकी समाचारपत्र वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच पर्यटकों के आने जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसका श्रेय हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच हुए समझौते को दिया जा सकता है। अरब अमीरात के बाजारों में पहली बार भारी संख्या में यहूदी आए और उन्होंने शॉपिंग मॉल से भारी मात्रा में खरीद की। इजरायल में कोरोना की महामारी के बावजूद इजरायली पर्यटक दुबई आए। अरब जगत के इतिहास में पहली बार दुबई में एक यहूदी धार्मिक स्कूल का उद्घाटन किया गया जिसमें यहूदी धर्म की शिक्षा और उसके प्रचार एवं प्रसार की व्यवस्था की गई है। इस तरह का संस्थान किसी मुस्लिम देश में पहली बार स्थापित हुआ है। इजरायली सूत्रों के अनुसार अभी 70 हजार और अधिक यहूदी यात्री दुबई का दौरा कर सकते हैं।

अरब जगत के इतिहास में पहली बार अमीरात के सबसे उंचे भवन बुर्ज खलीफा पर यहूदियों के धार्मिक त्योहार के अवसर पर विशेष रूप से रोशनी की गई। दुबई के शेख और शासक परिवार इजरायल फुटबॉल लीग और उससे संबंधित क्लबों में भारी मात्रा में पूंजी निवेश कर रहे हैं। हाल ही में नौ करोड़ डॉलर का पूंजी निवेश किया गया है। खास बात यह है कि पूंजी निवेश का विरोध करने वालों में इजरायल का सबसे प्रमुख अरब विरोधी गुट 'ला फमिलिया' भी शामिल है।

सियासत (26 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मुस्लिम देशों में इजरायल बड़ी तेजी से अपने पांव फैला रहा है और इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। हालांकि इससे आम जनता को कोई लाभ नहीं होगा। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम देश जानबूझकर इजरायल के साथ बढ़ते हुए संबंधों पर पर्दा डाल रहे हैं। हाल ही में इजरायल ने चार मुस्लिम देशों से राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं और एक अन्य प्रमुख अरब देश से भी शीघ्र ही समझौता होने की संभावना है। हाल ही में जिन देशों ने इजरायल के साथ संबंध स्थापित किए हैं उनमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल हैं। मोरक्को का हाल ही में इजरायल के एक उच्च प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया है। एक ओर तो इजरायल अरब देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने में जुटा हुआ है मगर दूसरी ओर फिलिस्तीन के मामले में उसकी नीति पहले से भी कड़ी होती जा रही है। फिलिस्तीन में इजरायल ने जिन क्षेत्रों पर जंग के

दौरान गैरकानूनी कब्जा किया था अब वह उन्हें इजरायल का भाग बनाने पर तुला हुआ है।

समाचारपत्र का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भी अरब देशों के प्रति अपनाई गई ट्रम्प प्रशासन की पुरानी नीति का ही अनुसरण करेंगे। इससे निश्चित रूप से इजरायल की स्थिति और भी सुदृढ़ होगी और जंग के दौरान उसने फिलिस्तीन के जिन क्षेत्रों पर अवैद्य रूप से कब्जा किया था उन पर उसकी पकड़ और भी मजबूत हो जायेगी। दु:ख की बात यह है कि अरब देश इस्लाम की बजाय अपने आर्थिक हितों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। फिलिस्तीन समस्या को खटाई में डालना मुस्लिम देशों के लिए बेहद खतरनाक है और उसकी भारी कीमत इन मुस्लिम देशों को अदा करनी पड़ेगी। इजरायल और अमेरिका ने जो नई नीति अपनाई है उसके कारण मुस्लिम देश दिन-प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। इस्लामिक जगत तार-तार हो रहा है। इससे इस्लाम दुश्मन ताकतों के हौसले बढ़े हैं। ऐसे हालात में यह जरूरी है कि इस्लाम के हितों को सामने रखते हुए अरब जगत के मुस्लिम देश इजरायल और अमेरिका के चंगुल में फंसने की बजाय उनसे दूरी बनाएं।

महमूद पराचा के दफ्तर पर पुलिस का छापा

इंकलाब (25 दिसंबर) के अनुसार विवादित वकील महमूद पराचा के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने छापा मारा और 15 घंटे तक तलाशी ली। महमूद पराचा ने आरोप लगाया है कि क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे ठोस प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने आरएसएस से संबंधित 26 व्यक्तियों को दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में जेल भिजवाया है इसलिए दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के निर्देश पर उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है ताकि वे इस वर्ष के प्रारम्भ में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के मुकदमों की पैरवी करना बंद कर दें। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि उन्हें केन्द्र सरकार के एक प्रभावी मंत्री के इशारे पर प्रताड़ित किया जा रहा है। जब लोगों को पराचा के घर पर छापे की सूचना मिली तो उनके मुवक्किलों और भीम आर्मी से जुड़े हुए लोगों ने उनके कार्यालय को घेर लिया। मगर पुलिस ने किसी को उनके दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया। पराचा ने कहा कि वे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण का मुकदमा भी लड़ रहे हैं जिन्हें पिछले वर्ष नागरिकता कानून के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में महमूद पराचा ने उनकी जमानत करवाई थी। महमूद पराचा ने यह दावा किया कि उनका जीवन खतरे में है और उन्हें धमकी दी जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने सरकारी कर्मचारियों के काम-काज में बाधा उत्पन्न करने और मारपीट करने के आरोप में महमूद पराचा के

खिलाफ निजामुद्दीन थाने में एक मुकदमा भी दर्ज करवाया है।

इंकलाब (29 दिसंबर) के अनुसार महमूद पराचा के दफ्तर पर छापे का सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने विरोध किया है और उसे कानून के खिलाफ बताया है। दिल्ली बार एसोसिएशन के कुछ अधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने यह मत व्यक्त किया है कि महमूद पराचा के कार्यालय पर छापा उनको भयभीत करने के लिए मारा गया था क्योंकि वे ऐसे लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं जो नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में सक्रिय थे और बाद में उन्हें दिल्ली में हुए दंगों का आरोपी करार दे दिया गया। बार एसोसिएशन ने कहा है कि कानून के तहत वकील और उनके मुवक्किल के बीच होने वाली बातचीत और पत्र व्यवहार को संरक्षण प्राप्त है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित पांडेय ने कहा कि इस छापे से दिल्ली में हुए दंगों के आरोपियों को इंसाफ मिलने में परेशानी होगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 दिसंबर) के अनुसार जमीयत-ए-उलेमा हिंद के प्रयासों से दंगों के 24 और मुस्लिम आरोपियों की जमानतें मंजूर हो गई हैं। जमीयत-ए-उलेमा ने एक दर्जन मामलों में जमानत की नकद धनराशि भी जमा करवाई है। जमीयत-ए-उलेमा दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में पकड़े गए मुस्लिम आरोपियों की रिहाई के लिए अभियान चला रही है। अब तक वह 30 व्यक्तियों की जमानत मंजूर करवा चुकी है। उच्च न्यायालय ने 12 आरोपियों की जमानत मंजूर की जबकि कड़कड़डुमा की सेशन कोर्ट ने अन्य छह लोगों को जमानत पर रिहा किया था। अरशद मदनी ने कहा है कि दंगे के आरोपियों को कानूनी न्याय दिलाने के लिए उनका संगठन प्रयास जारी रखेगा। उन्होंने महमूद पराचा के दफ्तर पर हुए पुलिस छापे की निंदा की है और कहा है कि सत्तारूढ़ दल ने पुलिस पर दबाव डालकर अनेक लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया है। अब केन्द्र सरकार का यह प्रयास है कि इन लोगों को न्याय न मिले इसलिए उनके वकील महमूद पराचा के दफ्तर पर पुलिस का छापा पड़वाया गया है।

ज्ञातव्य है कि महमूद पराचा सस्ती पब्लिसिटी के लिए अनेक तरह की शोशेबाजी करते रहते हैं। कुछ महीने पूर्व उन्होंने लखनऊ में मुसलमानों को शस्त्र ट्रेनिंग देने का अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया था। जब यह विवाद बढ़ गया था तो उन्होंने यह सफाई दी कि उन्होंने मुसलमानों को यह सुझाव दिया था कि वे आत्मरक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्रों का लाइसेंस प्राप्त करें क्योंकि वर्तमान में मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं हैं।

धर्मांतरण पर नोएडा में चार गिरफ्तार

इंकलाब (21 दिसंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने धर्मांतरण करवाने के सिलसिले में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक विदेशी महिला भी शामिल है। आरोप यह है कि ये लोग सूरजपुर गांव में किसी हिन्दू परिवार का धर्मांतरण करवाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उनसे पूछताछ की जिससे पता चला कि वे कई लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। ये विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रलोभन देकर ईसाई बनाते थे। पुलिस का दावा है कि ये लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। यह महिला धर्मांतरण करनेवालों को 5 से दस हजार रुपये देती थी।

श्रीलंका में मुसलमानों के शवों को जलाने पर विवाद

इंकलाब (17 दिसंबर) के अनुसार श्रीलंका में कोरोना के कारण मरने वाले 15 मुसलमानों को दफनाने की बजाय जलाने के कारण जबर्दस्त विवाद उत्पन्न हो गया है। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर इस्लाम का उल्लंघन कर रही है। जबकि श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि महामारी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। उनका दावा है कि अगर कोरोना से मरने वालों को दफनाया जाता है तो इससे प्रदूषण बढ़ेगा और महामारी तेजी से फैलेगी। ज्ञातव्य है कि इस वर्ष अप्रैल महीने में श्रीलंका सरकार ने यह फैसला किया था कि जो लोग कोरोना के कारण मरते हैं उनकी शवों को भट्ठी में डालकर जला दिया जाएगा। श्रीलंका के मुसलमानों के समर्थन में कई अन्य देश भी उतर आए हैं। मालदीव ने यह पेशकश की है कि वह श्रीलंका के मुसलमानों के शवों को अपने यहां दफनाने को तैयार हैं।

कम नम्बर देने पर शिक्षक की हत्या

इंकलाब (30 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब में एक 13 वर्ष के बच्चे ने अपने अध्यापक को गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि शिक्षक ने परीक्षा में अंग्रेजी भाषा का पर्चा जांचने के बाद उसे कम नम्बर दिए थे। इस पर छात्र और अध्यापक में गरमा-गर्मी हुई। अगले दिन छात्र अपने बड़े भाई को लेकर आ गया और जैसे ही अध्यापक स्कूल परिसर से बाहर निकला छात्र ने उसे फौरन गोली से उड़ा दिया। अध्यापक की आयु 37 वर्ष थी और उसके सिर में गोली मारी गई थी। छात्र और उसका भाई घटनास्थल से फरार हो गए।

होटलों और मांस की दुकानों पर हलाल या झटका लिखना अनिवार्य

इंकलाब (27 दिसंबर) के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम इस बात पर विचार कर रही है कि जिन ढाबों या रेस्टोरेंट में खाने में मांस आदि परोसा जाता है तो वहां यह लिखना अनिवार्य होगा कि यह झटका है या हलाल। ज्ञातव्य है कि दुनिया भर के मुसलमान सिर्फ हलाल मांस ही खाते हैं। इस्लामी परंपरा के अनुसार किसी भी पशु का वध करते समय कलमा पढ़कर उसकी गर्दन को धीरे-धीरे चाकू से रेत कर काटा जाता है जबकि सिख हलाल नहीं खाते वे झटका मांस खाते हैं जिसमें पशु की गर्दन एक झटके में काट दी जाती है। नगर निगम के सूत्रों के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में गोश्त से बने हुए खाद्य पदार्थों को बेचने वाली हजारों दुकानें हैं। विशेष रूप से रेस्टोरेंट में 90 प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें गोश्त परोसा जाता है। इसलिए नगर निगम से संबंधित स्वास्थ्य कमेटी ने यह फैसला किया है कि गोश्त की दुकानें और रेस्टोरेंटों को यह आदेश दिया जाए कि वे अपने दुकानों पर यह लिखकर लगाएं कि वे जो गोश्त बेच रहे हैं वह झटका है या हलाल। ओखला विधान सभा मार्केट वेल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष खतीम तहामी का कहना है कि इस्लाम में झटका हराम है। कोई मुसलमान मर भी जाए मगर वह झटका मांस नहीं खाएगा। जबकि हिंदू और सिख हलाल मांस की दुकानों से भी चिकन, बिरयानी, कबाब आदि ले लेते हैं।